दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली
कार्मिक प्रभाग

सं.एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02150(247)/2020 29 जुलाई, 2020

परिपत्र सं .: आईआर/22/2020

विषय: **कर्मचारियों को प्रशासनिक चेतावनी जारी करने के संबंध में।**

जब किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी अधिकारी की ओर से लापरवाही, असावधानी, पूर्णता की कमी, विलंब आदि जैसी छोटी खामियों के मामले में उसके कार्य की आलोचना/विपरीत टिप्पणी करना आवश्यक हो तो उस अधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाती है। यह चेतावनी दिए जाने वाले व्यक्ति के कार्य अथवा व्यवहार के प्रति अपनी नाराजगी, आलोचना और अस्वीकृति प्रकट करने हेतु और उसे यह अवगत कराने के लिए कि उसने कुछ आरोपयोग्य किया है, ताकि उसकी ओर से कमी को दूर करने का प्रयास किए जाने के उद्देश्य से और आमतौर पर अपनी दक्षता बढ़ाने और अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्राधिकारी के पास एक प्रशासनिक उपाय है।

2. इस प्रकार, चेतावनी दिए जाने वाले कर्मचारी के रिपोर्टिंग अधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, एक प्रारंभिक जाँच/पूछताछ या अन्यथा के फलस्वरूप ऐसे कर्मचारी की ओर से पायी गयी अनियमितता अथवा कमियों के लिए उसे लिखित या मौखिक चेतावनी अथवा फटकार(रिप्रीमांड) देंगे। असाधारण मामलों में, जहाँ भी पदानुक्रम में एक से अधिक अधिकारियों को उनकी ओर से पायी गयी अनियमितताओं/ खामियों के लिए चेतावनी दी जानी है, तो पदानुक्रम में चेतावनी दिए जाने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी, ऐसे सभी अधिकारियों को लिखित या मौखिक चेतावनी या फटकार(रिप्रीमांड) देंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

29/7/20

(एस.के. मीणा)
संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रति:-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशकगण/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- शाखा प्रबंधक
- एसटीसी वेबसाइट/सूचना-पट्ट